लोक जागृति संस्थान
ग्राम पहुँती पोस्ट सया जिला अम्बेडकर नगर

–: जेण्डर पालिसी :–

जेण्डर समानता प्रोत्साहन समिति

1.1 संस्थागत स्तर पर समिति की भूमिका –

- यह समिति संस्थागत स्तर पर जेण्डर समानता प्रोत्साहन हेतु सतत प्रयत्नशील रहेगी।
- यह समिति संस्था मे समय समय पर जेण्डर समानता हेतु सुझाव व कदम उठायेगी।
- यह समिति संस्था की सहयोगी संगठनो मे भी जेण्डर समानता प्रोत्साहन हेतु पहल करेगी।
- यह समिति संस्था मे किसी नई गतिविधि या निर्णय पर अपनी प्रतिकिया भी देगी।

1.2 समिति का निर्माण–

- संस्था को कोर ग्रुप समिति के सदस्यो को आमांत्रित करेगा।
- कोर ग्रुप इस प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष रखेगा।
- बोर्ड समिति को अधिकृत करेगा।
- इस समिति मे कुल 5 सदस्य होगें, जिसमे कम से कम 3 महिलाऐ अवश्य होगी।
- समिति का सदस्य होने के लिए कम से कम 3 बर्ष का संस्थागत अनुभव व जेण्डर पर समझ हो।
- संस्था के बाहर के भी महिला व पुरूष इस समिति के सदस्य हो सकते है बसरते उनकी जेण्डर मुदद पर विशेषज्ञता हो।
- समिति का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष को होगा।

1.3 कार्यकम स्तर पर समिति की भूमिका –

यह समिति संस्था मे निम्न स्तरो पर सम्भावित भेदभाव एवं जेण्डर समानता हेतु निगरानी, पहल व सुझाव देगी

- नई परियोजनाओ मे अधिकार, कर्तव्य व उत्तरदायित्व निर्णय मे।
- कार्यकर्ताओं की चयन प्रकिया व नियुक्ति मे।
- कार्यकर्ताओ के क्षमता विकास मे।
- वेतन व बजट आवंटन मे ।
- स्वास्थ्य व अन्य सहायक सेवा मे।
- अन्य संस्थाओ के साथ सम्बन्ध निर्माण मे।
- रेल यात्रा के दौरान आरक्षण
- साइकिल सिखाना।

अध्यक्ष/प्रबन्धक/सचिव
लोक जागृति संस्थान पहुँती
ग्राम सया-जनपद-अम्बेडकरनगर

- साईकिल के लिए बिना व्याज के ॠण देना।
- जेण्डर प्रशिक्षण
- मदद मागने पर सम्बन्धित कार्यकर्ता की निजी जिन्दगी मे सपोर्ट व काउन्सलिंग करना।

1.4 समिति की बैठक –

- जेण्डर समानता प्रोत्साहन समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह पर होगी। आवश्यकता पडने पर समिति के अध्यक्ष द्वारा कभी भी आकस्मिक बैठक बुलायी जा सकती है।

1.5 समिति की कार्यविधि–

- यह समिति संस्था के बोर्ड के अपनी संस्तुती/बैठक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी इसके लिए संस्था की बोर्ड बैठक मे समिति का एक सदस्य आमांत्रित किया जायेगा।

2. यौन उत्पीडन समिति (CASH)

- संस्था मे एक यौन उत्पीडन समिति गठित होगी तथा जेण्डर समानता प्रोत्साहन समिति के ही सदस्य इस समिति के भी सदस्य हो सकते है।

2.1 समिति की कार्य–

- यौन उत्पीडन के मामलो मे हस्तक्षेप करना।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के मामलो की सुनवाई व प्रभावी सुझाव देना।
- आवश्कता पडने पर प्रभावित पक्ष की समस्याओ का समाधान करना तथा उचित मुआबजा व सम्भावित घटनाओ को रोकने हेतु सशक्त रणनीती तय व लागू करना।

महिला कार्यकर्ताओ को संस्था के साथ जोडने के लिए नीति–

- नेतृत्वकारी महिलाओ के साथ होने वाली बैठको मे संस्था के कार्यो एवं इसका गॉव के विकास मे महत्व पर चर्चा करेगे।
- उनके बीच चर्चा करेगे की आपके अपने बीच का कोई हो जो इस काम को सीखे और उन्हे समझाने का प्रयास करेगे कि यदि आपके गॉव मे ही कोई ऐसी महिला या लडकी हो जो लोगो की मदद कर सके और उसे इसके बदले मे आर्थिक सहयोग दिया जायेगा।
- दलित एव मुस्लिम समुदाय की तलाक सुदा एकल महिला विधवा महिलाओ को जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता हो लेकिन उनकी शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल हो को काम करने के लिए प्राथमिकता देगें।
- महिला कार्यकर्ता को उसे अपनी शैक्षिक योग्यता बढाने के लिए उसके हाईस्कूल की परीक्षा शुल्क संस्था के द्वारा दिया जायेगा तथा विभिन्न प्रशिक्षणो मे प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षित करके उसकी क्षमता बृद्वि की जायेगी।
- सर्वोच्च न्यायलय के दिशा निर्देश के अनुसार शिकायत कमेटी का गठन करे।
- काम का माहौल व स्वारूप सुरक्षित बनाना ऐसा वातारण हो जिसमे महिलाऐ और पुरूष किसी लिंग भेद के बराबरी के साथ काम कर सके ।

अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/सचिव
लोक जागृति संस्थान
कार्यालय सभा-जनपद-अम्बेडकरनगर

- कार्यस्थल मे महिलाओ के प्रति अपमान जनक अश्लील या उत्तेजक दृश्यो, संवादो या उक्तियो वाले पोस्टर व संदेश नही होना चाहिए।
- कर्मचारियो के लिए आचार्य संहिता हो।
- यौन उत्पीडन विरोधी जागरूकता प्रशिक्षण करे।
- शिकायत कमेटी के सदस्यो के पते फोन नम्बरो सहित प्रमुख स्थानो पर प्रदर्शित किये जाये।
- जॉच प्रक्रिया की सही रिकार्ड रखने पर प्रावधान करे, उसकी प्रति दोनेा पक्षो को दे।
- शिकायत कमेटी द्वारा यदि कोई आदेश दिया जाता है। तो उसको लागू करना और एक समय सीमा के अन्दर मामले के खत्म करना।

आरती त्रिपाठी
महासचिव
लोक जागृति संस्थान
ग्रा०–पहुँती पो०–सया
जिला–अम्बेडकरनगर उ०प्र०

राम पराग

मालती

पुष्पा कुमारी

कृष्णावती

आरती त्रिपाठी

अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/महासचिव
लोक जागृति संस्थान पहुँती
ग्राम सया- अम्बेडकरनगर